न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 24/2020

1. बहादुर सिंह पुत्र श्री दान सिंह
2. सुनीता देवी पत्नी बहादुर सिंह
3. रविन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह
4. हेमेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह
5. प्रेम सिंह पुत्र बहादुर सिंह

समस्त निवासियान– पुरानी सब्जी मण्डी, वार्ड नम्बर 21 ,कस्बा बयाना , जातियान नेपाली ।

.... अपीलांटस

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक........................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0),
बयाना

निर्णय **दिंनांक : 02.12.2020**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक .... के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स पचासों वर्ष से पुरानी सब्जी मण्डी हाल वार्ड संख्या 21 में निवास करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में वार्ड संख्या 21 कस्बा बयाना की भाग संख्या 01 की मतदाता सूची में अपीलान्ट का नाम क्रम संख्या 10 लगायत 14 पर नाम दर्ज हैं, किन्तु विरोधियों ने बी0एल0ओ0 से असत्य रिपोर्ट करा दी है, जिस कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना द्वारा अपीलान्ट के नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिए गए है, जो वैधानिक रूप से गलत है। अपीला[...] उनके नाम वार्ड संख्या 21 के भाग संख्या 01 कस्बा बयाना की मतदा[...] की प्रार्थना की गई है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, जो संलग्न मिसिल है।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि अपीलान्ट्स के उक्त वार्ड में निवास नहीं करने के सम्बन्ध में प्रार्थी रूपकिशोर द्वारा इनके नाम मतदाता सूची से हटाने के आवेदन प्रपत्र 5 में प्रस्तुत किये गए थे। उक्त आवेदनों की जांच प्रगणक व सुपरवाईजर से कराई गई, तो उनकी जांच रिपोर्ट में अपीलान्ट्स का बयाना में निवास करना नहीं पाया गया है। अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 21 के भाग संख्या 01 कस्बा बयाना से विधिक प्रक्रिया के तहत ही विलोपित किये गए हैं।

आक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रारूप 05 निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने पर आक्षेप के लिए आवेदनों पर प्रगणक द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि **"नगर पालिका चुनाव 2020 वार्ड संख्या 21 के भाग संख्या 01 में नहीं रहने के कारण नाम हटाये जाने की अभिशंषा की जाती है।"** इसी प्रकार सुपरवाईजर ने भी अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट्स का वार्ड संख्या 21 के भाग संख्या 01 कस्बा बयाना में निवास नहीं करना अंकित किया है। ई0आर0ओ0 बयाना द्वारा प्रगणक व सुपरवाईजर से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर ही अपीलान्ट्स के नाम वार्ड संख्या 21 के भाग संख्या 01 कस्बा बयाना की मतदाता सूची से विलोपित किये गए हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.17 13:16:28 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर